न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी श्री करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 83 / 2022(2022 / 83)

सुखजीत कौर पत्नी गुरबचन सिह जाति बाजीगर निवासी चक 9 एसएसडब्ल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ।

–अपीलांट

बनाम

1. अंग्रेज सिंह पुत्र मुखत्यार सिंह
2. बूटा सिह पुत्र लखन सिह
3. गुरजिन्द्र सिंह पुत्र सुखदेव सिह
4. परविन्द्र सिंह पुत्र सुखदेव सिंह
5. गीतादेवी पत्नी सुखेदव सिह
6. अमित कुमार पुत्र श्री रामप्रताप

जाति जटसिख निवासी सतीपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ।

7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, हनुमागनढ।

— रेस्पोडेंट

अपील अर्न्तगत धारा 225 आरटीएक्ट
विरूद्ध निर्णय दिनांक 26.12.2022
द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ
प्रकरण संख्या 06 / 2022 अनवान स्टेट बनाम अंग्रेज सिह

श्री देवदत्त भिड़ासरा अपीलार्थी
श्री रमेशदास पुरोहित अभिभाषक रेस्पोडेण्ट सं0 1 ता 5
श्री रविन्द्र कुमार भोबिया अभिभाषक रेस्पो0 सं0 7

निर्णय दिनांक 01.06.23

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट संख्या 7 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के अन्तर्गत एक वाद पेश किया जिसके साथ धारा 212 आरटीएक्ट का प्रार्थना–पत्र भी प्रस्तुत किया। प्रार्थना–पत्र में कथन किया कि पटवार मण्डल सतीपुरा के जमाबन्दी संवत

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

2075–78 खाता संख्या 67 चक 45 एन.जी.सी. में प्रश्नगत 0.911 है0 भूमि अप्रार्थी के नाम दर्ज है। इस भूमि में बिना किसी सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के मिट्टी का खनन किया जिसके कारण कृषि भूमि का उपयोग अकृषि कार्य के लिए हो गया तथा कृषि भूमि का मूल स्वरूप परिवर्तित हो गया। अप्रार्थीगण ने राजस्थान काश्तकारी अधिनिमय के आज्ञापक शर्तों का उल्लंघन किया है जिससे राज्य को क्षति कारित हुई है। अतः प्रश्नगत कृषिभूमि से अप्रार्थी को बेखल किया जावे एवं भूमि का आराजीराज घोषित किया जावे। कालान्तरण में विचारण न्यायालय में प्रार्थना–पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी प्रस्तुत हुआ जो स्वीकार किया गया एवं प्रश्नगत आदेश पारित किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि आक्षेपित आदेश पारित करने से अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया। अपीलाण्ट की कृषि भूमि प्रश्नगत कृषि भूमि के चिपते है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 5 द्वारा उपरोक्त भूमि में खनन किये जाने से उसे भारी असुविधा हो रही है। रेसपोडेण्अ संख्या 1 व 2 ने दिनांक 21.10.2022 को जवाब पेश कर दिया था व शेष रेस्पोडेण्ट ने जवाब पेश नहीं किया था। विचारण न्यायालय को धारा 212 आरटीएक्ट का निर्णय करना चाहिए था लेकिन विचारण न्यायालय ने प्रार्थना–पत्र का अंतिम रूप से निस्तारण नहीं किया है।
4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1 व 2 ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थिया अपीलाधीन आदेश में कतई पक्षकार नहीं थी इसलिए उसे सुने जाने का अवसर दिया जाना कतई संभव ही नहीं था। अपीलाण्ट की कृषि भूमि प्रश्नगत कृषि भूमि चिपते हुई भूमि नहीं है। अपीलांट की कृषि संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि है किसी अन्य खातेदार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। अपीलाट की कृषि भूमि प्रश्नगत कृषि भूमि से करीब तीन मुरब्बा दूर पड़ती है। रेस्पोडेण्ट संख्या 6 ने अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार बनने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जिसे कि बिना सुनवाई किए हुए ही उसी दिन स्वीकार किया जाकर उसे पक्षकार बनाने के आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिये गये आगामी पेशी 09.01.2023 को प्राथ्र्यीया अपीलांट द्वारा प्रकरण में पक्षकार बनाने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर दिया गया महज प्रकरण का निर्णय न होने के व रेस्पोडेण्ट को काश्त से महरूम रखने के उद्देश्य से प्रक्रियाधीन दिनांक 27.02.2023 को अपीलांट को पक्षकार बनाया जाकर जवाब देही

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

हेतु अवसर दिया गया। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में जवाब प्रस्तुत न कर यह आधारहीन अपील श्रीमान न्यायालय में प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर ली गई जिससे कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में कोई कार्यववाही न की जा सके। अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट सं0 6 का एक ही मकसद है कि प्रकरण का निर्णय न हो सके तथा रेस्पोडेण्ट को उनको अपनी खतोदारी भूमि को काश्त न करने दिया जावे अपने इन्हीं उद्‌देश्य की पूर्ति हेतु अपीलाण्ट ने यह आधार हीन अपील पेश की है। अपीलाण्ट किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं है उसे कोई असुविधा नहीं हो रही है। अपीलाधीन निर्णय का अपीलाण्ट को ज्ञान रहा है। अपीलाण्ट ने मिथ्या तथ्यों के आधार पर यह अपील पेश की है जो खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
6. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र सशपथ होने एवं अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।
7. प्रकरण में अपीलाण्ट का कथन है कि उसे सनवाई का अवसर नहीं दिया गया है जबकि अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.12.2022 को प्रकरेण में वह पक्षकार ही नहीं थी तो उसे सुने जाने का अवसर दिया जाना कतई संभव नहीं था। अपीलांट की कृषि भूमि संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि है किसी अन्य खातेदार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अपीलाण्ट की कृषि भूमि प्रशगनत कृषि भूमि से तीन मुरब्बा होने का कथन रेस्पोडेण्ट ने किया है। इसलिए अपीलांट प्रभावित पक्षकार है अथवा नहीं तथा आवश्यक क्षेणी की पक्षकार की श्रेणी में आती है अथवा नहीं इस बिन्दू पर सुना आना है। अपीलाण्ट को दिनांक 09.01.2023 को प्रकरेण में पक्षकार बनाने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर दिया। जवाब देही हेतु अवसर दिया गया अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में जवाब प्रस्तुत न कर सीधे ही इस न्यायलाय में यह अपील प्रस्तुत कर दी है। जिसके कारण प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में कार्यवाही नहीं हो सकी। अपीलाण्ट को अपने कथन अधीनस्थ न्यायालय में करने चाहिए। प्रश्नगत आदेश एक अंतरिम आदेश अपीलाण्ट के पास अपने कथन करने के लिए अधीनस्थ पर्याप्त अवसर हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।
8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.12.2022 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01.6.23 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

01/6/23

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़